

राजस्थान सरकार
निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान जयपुर।
क्रमांक : ई-33 / पैरामेडिकल / एफ 09 / 2025 / 23
संशोधित आदेश

दिनांक 07.02.2025

स्व. श्री विनोद कुमार, सहायक रेडियोग्राफर, श्री जगन्नाथ पहाडिया मैडिकल कॉलेज सम्बद्ध चिकित्सा समूह भरतपुर जिनकी राज्य सेवा में रहते हुए दिनांक 21.06.2024 को मृत्यु हो जाने के कारण निदेशालय के समसख्यक आदेश क्रमांक 537 दिनांक 29.08.2024 द्वारा दिनांक 21.06.2024 से राज्य सेवा से नाम विलोपित किया गया था में कार्मिक के विरुद्ध संयुक्त विभागीय जांच विचाराधीन है अंकित की गई थी, में निम्नागुसार संशोधन किया जाता है:-

कर्मचारी के विरुद्ध:-

1. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-16 के अधिन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-19 के अधिन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
3. कोई न्यायिक कार्यवाहियां विचाराधीन/लम्बित नहीं है।

आदेश का शेष भाग यथावत्।

(राकेश कुमार शर्मा)
निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान जयपुर

दिनांक 07.02.2025

क्रमांक : ई-33 / पैरामेडिकल / एफ .09 / 2025 / 23

प्रतिलिपी निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निदेशक पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. संबंधित प्रशासनिक एवं नियंत्रक अधिकारी।
3. डीपीसी अनुभाग मुख्यालय।
4. सम्बन्धित कर्मचारी के आश्रित को द्वारा उनके प्रशासनिक/नियंत्रक अधिकारी।
5. प्रभारी सर्वर रूम, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि, उक्त आदेश का विभाग की वेबसाईट पर अपलोड कराया जावे।
6. आदेश पत्रावली/रक्षित पत्रावली।

उक्त कार्मिक के विरुद्ध यदि ऑडिट पैरा या अन्य कोई वसूली बकाया हो तो उसकी वसूली तत्काल कर निदेशालय को अवगत करावें।

निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान जयपुर

Document certified by RAKESH KUMAR SHARMA <rasrakeshsharma@gmail.com>

Digitally Signed by Rakesh Kumar Sharma
Designation: Director
Date :07-02-2025 10:49:17

aj Ref No.: 13408545

